संख्या:89/2026/388पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/41/2025-पार्ट (1)

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-53/2026/317पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/41/2025-**पार्ट** (1) दिनांक 31 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत जनपद-आजमगढ़ में 12 कार्यों की **रू. 359.33 लाख** की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू. 145.00 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इन कार्यों की कार्यदायी संस्था उक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका में परियोजनाओं के सम्मुख अंकित है।

2- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 के क्रमांक- 2 से 9 पर अंकित कार्यों की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। कार्यों के नाम निम्नलिखित तालिका में इंगित किये जा रहे हैं:-

शा**सनादेश संख्या- 53/2026 /317पू0वि0नि/35-1-2026 /35-1099/41/2025-Part(1) दिनांक 31 मार्च, 2026**	**कार्य का नाम**
2	ग्राम जमुवआ ब्लॉक ठेकमा में मुख्य मार्ग से शिवप्रसाद पाठक के घर के बगल से मदनमोहन पाठक के घर से जयप्रकाश के घर तक दूरी 220 मीटर सी०सी० रोड
3	ब्लॉक ठेकमा ग्राम बिजली पोस्ट ठेकमा राजेश उपाध्याय के घर से मुन्ना राय के घर तक सी०सी० रोड
4	ग्राम देवघर ब्लॉक मार्टिनगंज में हरिनाथ सिंह के घर से कमला सिंह के चक तक सी०सी० रोड
5	ग्राम पूरा रामजी (तरकुलहा) ब्लॉक पवई में राम अलाप के घर से शिव शंकर के घर तक इंटरलॉकिंग रोड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 53/2026 /317पू0वि0नि/35-1-2026 /35-1099/41/2025-Part(1) दिनांक 31 मार्च, 2026	कार्य का नाम
6	ग्राम पूरा रामजी ब्लॉक पवई में रामचंदर ट्यूबल से होते हुए जगदम्बा के घर तक इंटरलॉकिंग रोड
7	ग्राम पूरा रामजी (खुर्दा) ब्लॉक पवई में सत्यनारायण के स्कूल से विजई राजभर के घर तक सी०सी० रोड
8	विकास खंड पवई में ग्राम पंचायत कोहड़ा (कोहरौटी) मोड से न्यू आजमगढ़ पब्लिक स्कूल तक सी०सी० रोड
9	ब्लॉक पवई ग्राम पूरारामजी माहुल निजामपुर मार्ग से राजेश्वर चौबे के ट्यूबल होते हुए कोहार बस्ती तक सी०सी० रोड

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:89/2026/388पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/41/2025-पार्ट(1) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आजमगढ़।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आजमगढ़।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।